37

"आदेश"

श्री मनोज सैनी, सभासद वार्ड सं0-5 नगर पंचायत शाहपुर द्वारा वार्ड संख्या-7 वार्ड सं0-11, वार्ड संख्या-13 का वार्ड परिसीमन अनुचित एवं त्रूटिपूर्ण होने उल्लिखित करते हुए आपत्ति की गयी है तथा नये परिसीमन के वार्ड संख्या-07 (पुराना वार्ड संख्या-5) सैनियान पश्चिमी नगर पंचायत शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर से " चन्द्रवीर के मकान से जसवन्त के मकान तक का दक्षिणी भाग) (अरविन्द की दुकान से चन्द्रवीर के मकान तक का पूर्वी भाग)" नये परिसीमन के वार्ड सं0-11 में सम्मिलित किये जावे तथा नये परिसीमन के वार्ड सं0-13 में सम्मिलित किये गये संशोधित करते हुए समाप्त किया जावे और नये परिसीमन के वार्ड संख्या-13 से समाप्त कर नये परिसीमन के वार्ड संख्या-7 में पूर्व की भाँति सम्मिलित किये जावें।

प्रस्तुत आपत्ति पर अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत शाहपुर एवं उप जिलाधिकारी बुढाना से परीक्षण आख्या प्राप्त की गयी। अधिशासी अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी बुढाना द्वारा अपनी संयुक्त परीक्षण आख्या दिनांक 27.4.2017 में उल्लिखित किया गया कि वार्डों के परिसीमन का कार्य शासनादेश सं0-869/9-1-2017-02 निर्वाचन/2017 दिनांक 04 अप्रैल 2017 में कक्षों का निर्धारण वर्ष 2011 की जनगणना का आधार मानकर नगर की कुल जनसंख्या को नगर के कुल वार्ड से विभाजित कर जो औसत जनसंख्या आती है उसके 15 प्रतिशत कम और 15 प्रतिशत अधिक तक का निर्धारण करते हुये कक्ष बनाये जाये व नगर की भौगोलिक सीमा, पक्की सडक को दृष्टिगत रख जाये एवं कक्ष के निर्धारण में एक ही परिवार के सभी सदस्यों को ही कक्ष में रखा जाये आदि दी गयी व्यवस्था के अनुसार ही परिसीमन का कार्य कराये जाने का उल्लेख करते हुए आपत्ति बलहीन व निराधार होने के कारण निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत शाहपुर एवं उप जिलाधिकारी बुढाना की संयुक्त परीक्षण आख्या से सहमत होते हुए आपत्ति बलहीन एवं निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।

1/5/17

(जी0एस0प्रियदर्शी)
जिलाधिकारी,
मुजफ्फरनगर